दाढ़ी

‘फइन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाहि व खैरल हदयी हदयु मुहम्मदिन सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मोहदसातुहा व कुल्लु मोहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़ला लतुन व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार’

हम्द दो सलात के बाद सारी बातो से बेहतर बात अल्लाह की किताब है और सारे रास्तों से बेहतर रास्ता मुहम्मद मुस्तफा सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है और सारे कामों मे से सबसे बुरे काम वे है जो अल्लाह के दीन मे अपनी तरफ से निकाले जाएं दीन मे जो काम नया निकाला जाए वह बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही दोजख मे ले जाने वाली है ।

दाढ़ी के मुत्तालिक अक्सर लोग बाते करते है कि ये कितनी लंबी होनी चाहिये, होनी भी चाहिये कि नहीं होनी और क्या इसकी हदबंदी है यानि क्या रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी लंबाई के बारे मे कोई बात फरमाई है ये बाते आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती है पढ़ी लिखी जमाते दाढ़ी के बारे मे उल्टी सीधी बाते फैला कर उन्हे सुन्नत से दूर करने की कोशिश करती है । आइये देखते है मुहम्मद सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी के बारे मे क्या हदीसे फरमाई है :–

मुसलमान मर्द के लिये दाढ़ी रखना जरूरी है व लाज़मी है जिसे शरई इस्तलाह मे फर्ज़ व वाजिब कहते है नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फितरत मे से करार दिया है और दाढ़ी रखने का हुक्म दिया है ।

हदीस नं0 1

उम्मुल मोमेनीन हज़रत आईशा रजि0 से रिवायत है कि रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दस बाते पैदाईशी सुन्नत है एक मूंछे कतरवाना दूसरी दाढ़ी छोड़ देना तीसरी मिस्वाक करना चौथी नाक मे पानी डालना पांचवे नाखून काटना छठी पोरो का धोना (ऊंगलियो के जोड़, कानो के अंदर और नाक और बगल और रानो का धोना) सातंवे बगल के बाल उखेड़ना आठवे ज़ेरे नाफ के बाल साफ करना नौवे पानी से इस्तिंजा करना (या शर्मगाह पर वुज़ू के बाद थोड़ा सा पानी छिड़क लेना) रावी मुसअब ने कहा मै दसवी बात भूल गया शायद कुल्ली करना हो । (किताबुल तहारत, हदीस न0 604 सहीह मुस्लिम)

हदीस नं0 2

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि0 से रिवायत है कि रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खिलाफ करो मुश्रिको के निकाल डालो मूछो को और पूरा रखो दाढियो को (यानि छोड़ दो उन को और उन को मत कुतरो)(किताबुल तहारत, हदीस नं0 603 सहीह मुस्लिम)

<u>हदीस नं0 3</u>

हम ने कहा – ऐ अल्लाह के रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले किताब दाढियो को कांटते है और मूछों को बढ़ाते है आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया – ''तुम मूछें काटो और दाढिया बढ़ाओ और अहले किताब की मुखालिफत करो ।'' (मुसनद अहमद)

ये तीनो अहादीस से पता चला कि मूछें काटना या पस्त करना और दाढ़ी बढ़ाना फितरते इस्लाम मे दाखिल है और दाढ़ी काटना और मूछें बढ़ाना फितरते इस्लाम को बदलना और अहले किताब यानी यहूदो नसारा की अलामत है लिहाजा जो शख्स मूछे बढ़ाता है काटना नहीं वो अल्लाह के रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्ललम के हुक्म की मुखालिफत करता है । और अल्लाह के रसुल के हुक्म की मुखालिफत दर्दनाक अजाब को दावत देना है । इर्शाद बारी तआला है :-

''पस जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की नाफर्मानी करते है, उन्हे इस बात से डरना चाहिये कि उन पर कोई मुसीबत पड़े या उन पर कोई दर्दनाक अज़ाब उतरे ।'' (सुरह नूर 63)

बाकी रहा दाढ़ी के मिकदार का मसला तो अल्लाह के रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया है उसके मुतआल्लिक अल्लाह के रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम से पांच अल्फाज़ मरवी है ।

इमाम नववी रह0 लिखते है, पांच तरह के अल्फाज़ मरवी है अअ़फू, औफू, अरख़ू, अरजू और वफ्फिरू इन सब का मअना यह है कि दाढ़ी को अपनी हालत पर छोड़ दो इस हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज़ इसी बात का तकाज़ा करते है ।

लेहाज़ा जब अल्लाह के रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया है और उसे काटना अहले किताब की अलामत बताई है तो दाढ़ी को उसके हाल पर छोड़ देना ही मंशा ऐ इलाही है जो अल्लाह के रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्मान के होते हुए किसी दूसरी बात की तरफ तवज्जुह करना दुरूस्त नहीं । कुछ हज़रात दाढ़ी तराशने और उसकी कांट छांट करने के मुतअल्लिक जामेअ तिर्मिजी की इस रिवायत से इस्तिदलाल करते है –

''रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी को अर्ज व तूल से काटते थे । (तिर्मिजी)

अगर ये रिवायत दुरूस्त होती तो फिर दाढ़ी तरशवाने और काट छांट करने पर इस्तिदलाल सहीह होता । लेकिन अफसोस ये रिवायत इन्तिहाई कमजोर बल्कि मनगढ़त है । इसकी सनद मे उमर बिन हारून नामी रावी है जिसके बारे मे हाफिजुल हदीस इमाम जहबी रह0 कहते है कि इमाम अब्दुल रहमान बिन मेहदी, इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम नसई रह0 कहते है कि वो मतरूक है इमाम यह्या बिन मईन रह0 कहते है ये कज्जाब खबीस है और इमाम सालेह जजरा रह0 भी इसी तरह कहते है इमाम अली बिन मदीनी (उस्ताद इमाम बुखारी रह0) और इमाम दारे कुत्नी रह0 कहते है कि ये बहुत ज्यादा जईफ है । इमाम अबूल हाफिज रह0 कहते है कि ये मतरूकुल हदीस है । इमाम साजी रह0 कहते है कि इसमे जौफ है । इमाम अबू नईम फर्माते है कि यह सुनकर हदीसे बयान करता है महज हेच है । इमाम अजली रह0 फर्माते है कि वह जईफ है (तहजीबुत्तहज़ीब)

अल्लामा अलबानी रह0 ने इस रिवायत को मौजूअ करार दिया है (सिलसिलातुल अहादीसिज्जईफा)

हैरत की बात ये है कि इस बेअसल मनगढ़त और बेबुनियाद रिवायत से न सिर्फ इस्तिदलाल किया जता है बल्कि इसे सहीह अहादीस के मुकाबले मे पेश किया जाता है और एक ऐसे नज़रिये को साबित करने की कोशिश की जाती है जिसका खैरूल कुरून मे सिरे से वजूद ही नहीं है । कुछ लोग इस बेबुनियाद रिवायत को दलील बनाकर दाढ़ी का हुलिया इस तरह बिगाड़ देते है कि कुछ दाढ़ी ऊपर वाले हिस्से से खत (मूंड) दी और कुछ नीचे वाले हिस्से और चेहरे पर एक छोटी से पट्टी की सूरत मे चंद बाल रख लिये जो खुल्लम खुल्ला शरीयत से मज़ाक और शैतान की पैरवी है और अल्लाह के रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत और इजहार बेजारी है । दुख इस बात का है कि बड़ें बड़े पढ़े लिखे और अपने आपको स्कॉलर समझने वाले लोग इस सुन्नते मुतवातरा का न सिर्फ मज़ाक उड़ाते है बल्कि इसे सुन्नते नबवी से भी खारिज कर देते है ।

शुरू की दो हदीसो से पता चलता है कि दाढ़ी बढ़ाना फितरत मे से है और उसके बढ़ाने का रसुलुल्लाह ने हुक्म दिया है और अहले इल्म खूब जानते है कि हुक्म का सेगा किसी काम को वाजिब व फर्ज करने के लिये होता है । मगर यह कि कोई ऐसा करनी मौजूद हो जो उसे वजूब के हुक्म मे से खारिज करता हो और यहां कोई ऐसा करीना मौजूद नहीं जो उसे वजूब के हुक्म से निकालता हो । लेहाज़ा दाढ़ी रखना फर्ज व वाजिब है । इमाम इब्ने कसीर रह0 ने अपनी तारीख की किताब ''अल बिदाया वन निहाया'' मे इसी तरह तारीख तबरी और अलमुन्तजम लि इब्ने जोजी मे लिखा है – 'ईरान के दो बाशिन्दे जो दाढ़ी मूंडे थे जब रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मे हाज़िर हुए तो आप ने उनके चेहरे देख कर अपना रूखे अनवर फेर लिया । फिर उनसे जब दरयाफ्त किया तो

उन्होने बताया कि हमारे आकाओं ने हमे दाढ़ी मूण्डने का हुक्म दिया है तो आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ''मुझे मेरे रब ने दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया ।''(तारीख तबरी, अल बिदाया वल निहाया)

पता चला कि दाढ़ी बढ़ाना अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है । यहां ये भी याद रहे कि जम्हूर अइम्मा मुहद्दिसीन के यहां फर्ज व वाजिब एक ही चीज के दो नाम है । मुस्लिम वगैरह मे अबू हुरैरह रजि0 से रिवायत है कि हमे रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुत्बा दिया तो फरमाया

''ऐ लोगो । बेशक अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हज फर्ज़ किया है सो तुम हज करो ।'' तब एक आदमी ने पूछा –''ऐ अल्लाह के रसूल क्या हर साल ? आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे यहां तक कि उसने तीन मर्तबा ये बात कही फिर रसूलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया –''अगर मै हां कह देता तो वाजिब हो जाता और तुम्हे उसकी इस्तिताअत न होती । (मुस्लिम)

इस सहीह हदीस से पता चला कि फर्ज और वाजिब एक ही चीज के दो नाम है और उसका अदा करना जरूरी व लाज़मी होता है । लेहाज़ा दाढ़ी रखना शरई तौर पर फर्ज और वाजिब है इसका अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है ।

लेहाज़ा इस्लाम मे दाढ़ी रखना वाजिब है इसका खत बनवाने की कोई शरई दलील मौजूद नहीं अहले शिया के यहां दाढ़ी तराशना हराम है । जैसा कि अल्लामा मुहम्मद हुसैन नजफी ने अपनी किताब 'हुरमत रीश तराशी' मे बा दलाइल वाजेह किया है । और कई कई एक अइम्मा–ए–अहले सुन्नत के यहां दाढ़ी एक मुश्त होनी चाहिये और वह आसारे सहाबा से दलील लाते है । यहां बात यही है कि हदीसे नबवी के मुकाबले मे आसारे सहाबा की कोई हैसियत नहीं रहती । लेहाज़ा बेहतर मौक़फ़ यही है कि दाढ़ी बढ़ाई जाए, क्योकि आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं कि लिहाज़ा हमे भी इसकी हदबंदी से परहेज़ करना चाहिये ।

इस्लामिक दावाअ सेन्टर

रायपुर, छत्तीसगढ़

CONTACT

ISLAMIC DAWAH CENTER
RAIPUR
QAZI ADNAN AHMED
9009911122
WWW.FACEBOOK.COM/IDCRAIPUR